न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –48 / 2026 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2026/164

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

वनाम

फर्म मारवाडी नमकीन माचिस फैक्ट्री एरिया संचालक नीलेश अग्रवाल पुत्र प्रहलाद अग्रवाल निवासी माचिस फैक्ट्री एरिया, स्टेशन क्षैत्र कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः–19.05.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा चलाये जा रहे घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग इत्यादि के विरूद्व संचालित अभियान के तहत दिनांक 25.02.2026 को जांच दल में सम्मिलित श्रीमति संध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी, समीक्षा भटनागर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू एल पी जी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहन में अवैध रिफिलिंग से जान माल व राजस्व हानि हो रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के क्रम में शहर में कोटा स्टेशन क्षैत्र माचिस फैक्ट्री एरिया में स्थित फर्म मारवाडी नमकीन पर पहुंचे । मौके पर नीलेश अग्रवाल पुत्र प्रहलाद अग्रवाल निवासी माचिस फैक्ट्री एरिया, स्टेशन क्षैत्र कोटा उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को उक्त फर्म /दुकान का मालिक होना बताया । जिनकी उपस्थिति में घरेलू गैस सिलेण्डरों की जांच का कार्य सम्पादित किया गया । परिसर के अवलोकन करने पर 02 घरेलू 14.2 किग्रा क्षमता के गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडे पाये गये, जिसका उपयोग नमकीन व मिठाई बनाकर बेचने का कार्य किया जा रहा था । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग के सम्बन्ध में फर्म के मालिक से पूछताछ करने पर उपके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किये गये ।
2. मौका स्थिति से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जा रहा है । मौके पर 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर राजस्थान इंडेन गैस एजेन्सी कोटा के प्रतिनिधि श्री हिमाद्रि गोयल पुत्र श्री मुकेश गोयल को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया, जिनका कुल अनुमानित मूल्य 12296/– है । जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर क्रमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्राम में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	IOCL	210855	14.2	15.6	28.0	12.4	घरेलू
2	IOCL	507673	14.2	15.8	17.4	1.6	घरेलू
3	IOCL	381742	14.2	15.7	17.5	1.8	घरेलू

4	HPCL	147534	14.2	15.5	15.8	0.3	घरेलू
5	BPCL	124074	14.2	17.0	17.0	0.00	घरेलू
	Total					16.1	

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण, व्यावसायिक उपयोग कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग किया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा.) को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित, अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुना गया ।
4. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया है ।
5. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी सावित्री सदन विकास कॉलोनी डडवाडा कोटा जंक्शन का रहने वाला हूं तथा मेरी मौसी के पुत्र शिवम अग्रवाल की दिनांक 23.2.2026 को सगाई थी तथा शिवम अग्रवाल की सगाई होने पर हलवाई द्वारा सगाई में उपयोग में आये बर्तन व 5 सिलेण्डर मेरी दुकान जो कि मारवाडी नमकीन स्टेशन रोड फ्लाई ओवर के पास कोटा जं0 पर छोडकर चले गये थे तथा दिनांक 25.2.2026 को दोपहर 1.00 बजे रसद विभाग कोटा के द्वारा कार्यवाही करते हुये मेरे 5 घरेलू गैस सिलेण्डर को मेरी दुकान से जब्त करके ले गये तथा मेरे द्वारा उनको सच्चाई बताने पर भी वह सिलेण्डर को अपने साथ ले गये । अतः निवेदन है कि कृपया उक्त पांचो सिलेण्डरों को जब्ती से मुक्त करवाकर डिलीवरी दिलवाने की कृपा करें ।
6. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर मारवाडी नमकीन के मालिक नीलेश अग्रवाल के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर उनकी मौसी के लडके की सगाई के कार्यक्रम में उपयोग में होने से हलवाई द्वारा उनकी दुकान पर रखा जाना बताया है, अप्रार्थी द्वारा बताया गया कारण ठोस आधार नहीं है किन्तु अप्रार्थी द्वारा बताये गये, कारणों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा गैस सिलेण्डर 05 जिनका विवरण उपर अंकित है को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द किया जाना उचित पाते है ।
7. परिणामस्वरूप अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 05 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर को वापस अप्रार्थी के सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है । अप्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर नहीं रखें और ना ही उपयोग करें । जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावें ।
8. निर्णय आज दिनांक 19 .05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा